Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 10-10-2025

भारत निर्वाचन आयोग ने आरओ और एआरओ के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन एवं शंका समाधान सत्र आयोजित किया

जयपुर, 10 अक्टूबर। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव एवं उपचुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 9 और 10 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित ऑनलाइन मूल्यांकन एवं शंका समाधान सत्र शामिल था। आयोग के अनुसार इस प्रशिक्षण में कुल 243 आरओ और 1418 एआरओ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 और 24 के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरओ एवं एआरओ को नामित करता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया विधि अनुसार और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। राजस्थान के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इन ऑनलाइन सत्रों में नामांकन प्रक्रिया, योग्यता और अयोग्यता से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनरों द्वारा आरओ और एआरओ की शंकाओं का समाधान किया गया ताकि चुनावों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

आयोग ने सीईओ, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और आरओ के लिए ईसीआईनेट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर मॉड्यूल पर भी ऑनलाइन ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया। इस मॉड्यूल के माध्यम से पीठासीन अधिकारी दो-दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत की जानकारी ECINET ऐप पर अपलोड करेंगे, जिससे वास्तविक समय में मतदान की स्थिति का आकलन संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, मतदान से पूर्व सभी

मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी एप्लिकेशन का ट्रायल रन भी किया जाएगा। ये सत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त आयोजित किए जा रहे हैं।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 10-10-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव -2025

ईपिक के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से भी कर सकेंगे मतदान

जयपुर,10 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिसके तहत जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वे मतदान के दिन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। आयोग ने 7 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था की है, जिससे ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन ईपिक उपलब्ध नहीं है, उनकी पहचान में कोई कठिनाई नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित), स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत), ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के तहत जारी), भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, निजी लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित), सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) का मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम का होना अनिवार्य है। साथ ही पर्दानशीन (बुरका या पर्दा धारण करने वाली) महिलाओं की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए आयोग ने विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान महिला मतदान अधिकारियों या परिचारिकाओं की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1013 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 1170 मतदाता मानक दिव्यांगता वाले एवं 39 सेवा मतदाता हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।